**प्रेस विज्ञप्ति**
**04.04.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने बरियातू रांची में 8.8 एकड़ पैमाइश की एक अचल संपति अधिग्रहण करने, कब्ज़ा करने और अचल संपति के रूप में अपराध की आय को छुपाने के लिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच किए जा रहे भूमि घोटाले के मामलों में से एक में हेमंत सोरेन एवं चार अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। चार अन्य व्यक्तियों नामतः भानु प्रताप प्रसाद, बिनोद सिंह, हिलेरीयस कच्छप और राज कुमार पाहन को भी उक्त संपत्ति के गैरकानूनी अधिग्रहण करने और कब्ज़ा करने में हेमंत सोरेन की सहायता करने और प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका के लिए शिकायत में आरोपियों के रूप में शामिल किया गया है।

ईडी ने सरकारी अधिकारियों सहित कई लोगों के विरुद्ध झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर भूमि घोटाले के मामलों में धन-शोधन की जांच शुरू की।

भूमि घोटाला मामलों में ईडी की जांच में पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों में से एक, भानु प्रताप प्रसाद, एक राजस्व कार्मिक और मूल सरकारी रिकॉर्डो के संरक्षक, ने अपने अधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, उन्होंने अवैध व्यवसाय, जमीन जायदाद के रूप में अपराध की आय अर्जित करने और कब्ज़ा करने से जुडी उनकी गतिविधियों में हेमंत सोरेन सहित कई व्यक्तिओं को सहायता उपलब्ध करायी है।

ईडी की जांच में पता चला है कि झारखंड में भू-माफिया का एक रैकेट सक्रिय है जो रांची में जमीन के फर्जी रिकॉर्ड बनाने का काम करता है। यह भी पता चला है कि उक्त भू-माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जमीनों के स्वामित्व रिकॉर्ड भी फर्जी बनाए गए हैं। इसके बाद, जाली भूमि रिकॉर्डो के आधार पर, ऐसे भूमि खंड अन्य व्यक्तियों को बेच दिए जाते हैं। ऐसी संपत्तियों के गैरकानूनी अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वामित्व के मूल भूमि रिकॉर्ड से या तो छेड़छाड़ की जाती है या छुपाया जाता है। ईडी ने पहले ऐसे मामलों में 51 तलाशी और 9 सर्वे किए थे और अपराध सांकेतिक दस्तावेज जैसे कि भू- राजस्व विभाग की जाली मुहरें, जाली भूमि दस्तावेज, अपराध की आय के वितरण के रिकॉर्ड, जालसाजी करने की तस्वीरें, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के सबूत आदि जैसे सबूतों को जब्त किया था। तलाशी के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) नकदी की बरामदगी और जब्ती की गई तथा उसके बाद बैंक खाते में जमा 3.56 करोड़ रुपये को फ्रीज़ कर दिया गया था। दिल्ली में हेमंत सोरेन के उपयोग और नियंत्रण वाले एक परिसर की तलाशी के दौरान 36.34 लाख रुपये, एक बीएमडब्ल्यू लग्जरी कार और अपराध सांकेतिक दस्तावेज जब्त किए गए।

ईडी ने इसके पूर्व भूमि घोटाला मामले में 236 करोड़ रुपए कीमत के दागी भूमि-खंड अनंतिम रूप से कुर्क किए थे। अब तक इन मामलों में हेमंत सोरेन, छवि रंजन आईएएस (पूर्व डीसी, रांची), भानु प्रताप प्रसाद (राजस्व उप-निरीक्षक), अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

भूमि घोटाले के मामलों में अभियोजन शिकायतें पहले 12.06.2023 और 01.09.2023 को ईडी द्वारा दर्ज की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।